न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 63/2016

प्रार्थी/वादी:– बनाम अप्रार्थी/प्रतिवादीगण:–

1. तहसीलदार (भूमिधारी), पाली

1. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मूलचंद जाति ब्राह्मण साकिन ग्रीन पार्क, पाली।

उपस्थिति:–

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री बाबूलाल मेवाडा, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णय:– दिनांक 28.02.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199/1 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 1199/1 अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमे खसरा नम्बर 1199/1 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम मे अप्रार्थीगण रामेश्वरी पत्नी श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मूलचंद जाति ब्राह्मण साकिन ग्रीन पार्क, पाली के हिस्से की भूमि मे 3.15 बिघा भूमि पर कपड़ा फैक्ट्री रंगाई प्रिन्टिंग टेबले लगा कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199/1 के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने से फलस्वरूप उक्त कृषि कार्य नही रही तथा भूमि की उर्वरता उत्पादकता खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1199/1 रकबा 3.15 बिघा मे अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करने से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन हैं। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुचा कर कृषि योग्य नही रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणो का यह कृत्य राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघन होने से खसरा नम्बर 1199/1 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि के प्रतिवादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

3. उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.01.2018 को वाद मे परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी रामेश्वरी की ओर से वाद की तरह कन्टेस्ट करने हेतु निवेदन करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को वाद मे परिणित किया गया। प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मौके पर फैक्ट्री कपड़ा रंगाई प्रिन्टिंग टेबलें लगाकर पक्का निर्माण नही करवाया जा रहा है। एवं ना ही अकृषि कार्य उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी के द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रतिवादी पर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, वादी द्वारा प्रतिवादी पर कृषि भूमि की उर्वरता को नष्ट करने का गलत आरोप लगाया है, वादी द्वारा कृषि भूमि की उर्वरता से संबंधित मृदा विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट वास्ते सबूत पेश नहीं की है। वादी द्वारा मृदा विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के बिना कृषि भूमि का कृषि योग्य नहीं होना तथा भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता का खत्म होना वादी द्वारा प्रतिवादी पर मनमर्जी से आरोप लगाना दर्शाता है तथा प्रतिवादी पर लगाए गए आरोप से संबंधित सबूत नहीं होने के कारण से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया परिवाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र मे टंकित भूमि पर कोई भी अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि नगर परिषद सीमा क्षेत्र मे आ जाने से प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग परिवर्तन करने हेतु नगर परिषद पाली मे आवेदन कर दिया था। अतः परिवाद का जवाब रामेश्वरी की ओर से पेश कर निवेदन है कि वादी के दावे की खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

5. वाद मे तनकियात दिनांक 16.01.2020 को निम्न प्रकार से कायम की गई–

5/1 पाली चक प्रथम के खसरा नंबर 1199/1 रकबा 3.15 बीघा मुताबिक रेकर्ड कृषि भूमि है या नहीं (वादी)

5/2 उक्त भूमि पर किसी तरह का निर्माण आदि किया जाकर, अकृषि उपयोग मे लिया जा रहा या नहीं– (वादी)

5/3 उक्त भूमि का अकृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण करवाया या नहीं (प्रतिवादी)।

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

7. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199/1 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारीन दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 1199/1 अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमे खसरा नम्बर 1199/1 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम मे अप्रार्थीगण रामेश्वरी पत्नी श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मूलचंद जाति ब्राह्मण साकिन ग्रीन पार्क, पाली के हिस्से की भूमि मे 3.15 बिघा भूमि पर कपड़ा फैक्ट्री रंगाई प्रिन्टिंग टेबले लगा कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199/1 के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रंद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने से फलस्वरूप उक्त कृषि कार्य नही रही तथा भूमि की उर्वरता उत्पादकता खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1199/1 रकबा 3.15 बिघा मे अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करने से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन हैं। कृषि भूमि पर कृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किंया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुचा कर कृषि योग्य नही रखने दिये जाने से अप्रार्थीगणो का यह कृत्य राजरथान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघन होने से खसरा नम्बर 1199/1 रकबा 3.15 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि के प्रतिवादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199/1 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा पाली प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199/1 कुल रकबा 3.15 बीघा किस्म बारीन दोयम भूमि वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 63 सन् 2016

प्रार्थी / वादीः– बनाम अप्रार्थी / **प्रतिवादीगणः–**

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

1. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मूलचंद जाति ब्राह्मण साकिन ग्रीन पार्क, पाली।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री बाबूलाल मेवाड़ा, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग ......शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

Rohit

सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rohit

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 17:48:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: